न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 49/2021

(जी सी एम एस नम्बर 2021/120)

उनवानी प्रकरण :–

सुरेश पुत्र हरभेजी व तोताराम जाति काछी निवासी ग्राम खेरली तहसील मंनिया जिला धौलपुर

...............................अपीलान्ट

बनाम्

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

2–अंगूरी बाई पुत्री सुन्दरपाल जाति काछी निवासी फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर

---------रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 112
दिनांक 08.06.1981 बॉके ग्राम फिरोजपुर
तहसीलदार धौलपुर

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
रेस्पो0सं01 की ओर से :– पैरोकार सरकार
रेस्पो0 सं02 की ओर से :– एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक : 21.08.2023

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 832,833,834,835 वांके ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर के अभिलिखित खातेदार काश्तकार सुन्दरपाल पुत्र पातीराम जाति काछी निवासी ग्राम फिरोजपुर तहसील धौलपुर थे। सुन्दरपाल के निधनोपरान्त सुन्दरपाल के वारिस एवं उत्तराधिकारी सुन्दरपाल की वेवा रामश्री तथा पुत्रीगण अंगूरीबाई एवं हरभेजी थी। हरभेजी का निधन दिनांक 04.06.1990 को हो चुका है। हरभेजी के वारिस एवं उत्तराधिकारी अपीलान्ट सुरेश पुत्र तोताराम है तथा रामश्री पत्नी सुन्दरपाल का भी निधन हो चुका है। सुन्दरपाल के निधनोपरान्त रेस्पो0सं02 ने तथ्यों को छुपाते हुये रैस्पो0सं01 से साजकर अपीलान्ट की मॉ हरभेजी को छोडते हुये अपने एवं स्व0 रामश्री के पक्ष में अवैध रूप से अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 112 ग्राम फिरोजपुर आदेश तारीखी 08.06.1981 पारित करवा लिया जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट ने निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है अपीलाधीन नामान्तकरण में सिजरा असत्य रूप से अंकित किया गया है। अपीलाधीन

नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट की मॉ हरभेजी एवं अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। नामान्तकरण की कार्यवाही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिन्दुओं में संचालित होती है तथा एक निर्वसीयती के निधनोपरान्त उसकी विरासत प्रथम श्रेणी के समस्त वारिसान में वहिस्सा बराबर प्रकान्त होती है तथा इस प्रकरण में सुन्दरपाल के निधनोपरान्त प्रथम श्रेणी के सबसे नजदीकी वारिस सुन्दरपाल की वेवा रामश्री एवं सुन्दरपाल की पुत्रीगण अंगूरीबाई एवं हरभेजी थी। रेस्पो0सं01 ने हरभेजी को छोडते हुये अवैध रूप से नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन नामान्तकरण बिना किसी जॉच पडताल के आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट हरभेजी का पुत्र है तथा हरभेजी का सबसे नजदीकी वारिस एवं उत्तराधिकारी है तथा अपीलान्ट विवादित आराजी पर वहिस्सानुसार विरासतन हरभेजी के निधनोपरान्त काबिज है। अपीलान्ट को रैस्पो0सं02 ने अर्सा करीब 20 दिवस पूर्व दिनांक 05.09.2020 को विवादित आराजी पर आकर विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी दी तथा इजहार किया कि विवादित आराजी उसके नाम है आइन्दा वह अपीलान्ट को काश्त नहीं करने देगी। रैस्पो0सं02 की धमकी से व्यथित होकर अपीलान्ट ने विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तब अपीलान्ट को प्रथम बार अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश का ज्ञान हुआ तथा ज्ञान से अविलम्ब अपीलान्ट अपील प्रस्तुत कर रहा है जिसके न्यायहित में ज्ञान से अन्दर अवधि शुमार की जावे। देरी की क्षमा हेतु पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 112 ग्राम फिरोजपुर तहसील धौलपुर दिनांक 08.06.1981 निरस्त किये जाने तथा प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को गुणावगुण पर नामान्तकरण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। रैस्पो0सं02 वावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्व दिनांक 04.04.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एकपक्षीय सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार सुन्दरपाल पुत्र पातीराम था। सुन्दरपाल के निधनोपरान्त सुन्दरपाल के वारिस एवं उत्तराधिकारी सुन्दरपाल की वेवा रामश्री तथा पुत्रीगण अंगूरीबाई एवं हरभेजी थी। हरभेजी का निधन दिनांक 04.06.1990 को हो चुका है। हरभेजी के वारिस एवं उत्तराधिकारी अपीलान्ट सुरेश पुत्र तोताराम है तथा रामश्री पत्नी सुन्दरपाल का भी निधन हो चुका है। सुन्दरपाल के निधनोपरान्त रेस्पो0सं02 ने तथ्यों को छुपाते हुये अपीलान्ट की मॉ हरभेजी को छोडते हुये अपने एवं स्व0 रामश्री के पक्ष में अवैध रूप से अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करवा लिया। प्रकरण में सुन्दरपाल के निधनोपरान्त प्रथम श्रेणी के सबसे नजदीकी वारिस सुन्दरपाल की वेवा रामश्री एवं सुन्दरपाल की पुत्रीगण अंगूरीबाई एवं हरभेजी थी। रेस्पो0सं01 ने हरभेजी को छोडते हुये अवैध रूप से नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो काबिल खारिजी के है।

अपीलाधीन नामान्तकरण बिना किसी जॉच पडताल के एंव अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना आदेश पारित किया है। अपीलान्ट हरभेजी का पुत्र है तथा हरभेजी का सबसे नजदीकी वारिस एवं उत्तराधिकारी है तथा अपीलान्ट विवादित आराजी पर वहिस्सानुसार विरासतन हरभेजी के निधनोपरान्त काबिज है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है अपीलाधीन नामान्तकरण में सजरा असत्य रूप से अंकित किया गया है। अवैध व शून्य आदेश को निरस्त करने के लिये कोई सीमा नहीं है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनो के समर्थन में **RRT 2002 Page 723, RRT 2012 Page 850, RRT 2011 Page 432 , RRT 2009 Page 988 RRT 2018 Page 186** न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जावे तथा प्रकरण तहसीलदार को गुणावगुण पर नामान्तकरण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एक पक्षीय प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। दिनांक 08.06.1981 के नामान्तकरण की अपील 05.10.2020 को अर्थात लगभग 39 वर्ष पश्चात की गई है। अपील प्रस्तुतीकरण में बिलम्ब शमन हेतु कोई भी संतोषजनक कारण अंकित नहीं है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 112 मियाद बाहर है। चूंकि अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अतः अपील को गुणावगुण पर तय करना उचित नहीं है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर